Chamba - Mussoorie

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून
E-mail ID – exnpdddun@gmail.com/Phone/Fax - 0135-2623746

पत्रांकः– 2621 / 12-C                                                                 दिनांक :– 10/8/18

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

विषय :– टिहरी बसअड्डा से बाटाघाट मोटर मार्ग पर एरियल केबिल के पोल लगाने हेतु रोड़ कटिंग अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र द्वारा उक्त मार्ग हेतु पक्का 34.30 वर्ग मी0 एवं कच्चा 34.30 मी0 लम्बाई में ओ.एफ.सी. केबिल को भूमिगत करने हेतु Reliance Jio आर.जे.आई.एल.एस–14,15,16 द्वितीय तल, एन.सी.आर. प्लाजा, न्यूकैन्ट रोड, हाथीबड़कला, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 20.6.2018 द्वारा डी0डी0 संख्या–192008 दिनांक 13.6.2018 रू0.1,89,851/– मात्र की धनराशि द्वारा इस खण्ड में विषयक रोड़ कटिंग हेतु जमा किया गया है। शासनादेश संख्या–1626/III(2)/16–07 (सामान्य)/2016 दिनांक 19.4.2016 में सुसंगत नियमों के अनुपालन में रोड़ कटिंग की विधिवत् स्वीकृति आपके स्तर से की जानी है। उक्त धनराशि से मार्ग को पूर्व अवस्था में लाया जायेगा। उक्त शासनादेश के अनुपालन में रोड़ कटिंग हेतु प्रकरण आपको प्रेषित किया जा रहा है। उक्त धनराशि से रेस्टोरेशन का कार्य किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है, कि शासन के संदर्भित सुसंगत नियमों के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमति देना चाहें।

1. भविष्य में यदि कभी मार्ग को चौड़ा करने, मरम्मत करने अथवा जनहित में सीवर लाईन/पाईप लाईन/केबिल लाईन हटवाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको अपने व्यय पर हटानी होगी, यदि निर्धारित समय तक आपके द्वारा न हटाई गई, तो विभाग को अधिकार होगा, कि वह ऐसी लाईन को हटा देगा, तथा इस कार्य पर हुये व्यय को वसूल करने का, विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
2. जनहित में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग काटने की अनुमति पर समय सीमा लगाई जा सकती है।
3. सड़क काटते समय यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये मार्ग पर सुरक्षा के आवश्यक प्रबन्ध किये जायें तथा जिले के समस्त सम्बन्धित विभागों को सूचना दी जाये। सड़क यातायात की सुरक्षा के निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य किया जाये। रोड़ यूजर्स की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपके विभाग की होगी।
4. क्रमांक –2 में वर्णित कार्य सड़क की सतह से उचित गहराई पर करना होगा, अन्यथा क्षतिग्रस्त होने की जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. सड़क काटने के उपरान्त भरी जाने वाली मिट्टी को Trenches की खुदाई के दौरान खुदाई का मलवा अन्यत्र निस्तारित नहीं किया जायेगा। अपितु Trenches में खुदाई का मलवा की Filling 15 सेमी0 की layers में लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप Watering के साथ यांत्रिक अथवा Manually Compacter द्वारा जहां जो प्रयोज्य हो, उचित ढंग से कुटाई की जायेगी तथा जिसका परीक्षण कर प्रमाणपत्र आई.आई.टी.रूड़की द्वारा स्वंय के व्यय पर लो0नि0वि0 को प्रस्तुत करना होगा।
6. जब कभी आपको लाईन में फाल्ट होगा, तो आपको अपने व्यय पर लाईन ठीक करने हेतु इस विभाग से अनुमति प्राप्त कर क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व स्थिति में लाने हेतु समस्त व्ययभार वहन करना होगा। अतः नियमानुसार अनुमति पुनः प्राप्त करनी होगी।
11. मार्ग को यदि अतिरिक्त काटने की आवश्यकता पड़ती है, तो नियमानुसार अनुमति लेनी होगी एवं अतिरिक्त कटिंग हेतु रोड़ कटिंग चार्जेज वहन करना होगा।
12. यह अनुमति केवल दो माह तक वैध होगी। इस अवधि तक कार्य पूर्ण न करने की दशा में अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। इस कारण रोड़ कटिंग चार्जेज भी वापिस करना सम्भव नहीं होगा।
13. कार्य करते समय मलवा मार्ग पर एकत्रित नहीं किया जायेगा।
14. कार्य पूर्ण होने पर समस्त अवशेष निर्माण सामग्री तुरन्त हटायी जोयगी।

संलग्न :– Reliance Jio आर.जे.आई.एल.एस–14,15,16 द्वितीय तल, एन.सी.आर. प्लाजा, न्यूकैन्ट रोड, हाथीबड़कला, देहरादून का संदर्भित पत्र की फोटो सहित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को शासनादेश संख्या–1626/III(2)/16–07 (सामान्य)/2016 दिनांक 19.4.2016 में सुसंगत नियमों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि Reliance Jio आर.जे.आई.एल.एस–14,15,16 द्वितीय तल, एन.सी.आर. प्लाजा, न्यूकैन्ट रोड, हाथीबड़कला, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 20.6.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–तृतीय, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रतिलिपि कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रतिलिपि खण्डीय रोकड़िया को डी.डी. नं0–192008 दि0 20.6.2018 रू0.1,89,851/– मात्र सहित।

~~संलग्न :– उपरोक्तानुसार डी0डी0।~~

अधिशासी अभियन्ता 10/8/18
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून
10/8/18